

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

04 अगस्त 2017

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संख्या 30 “धारा 115जेबी के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत कुछ कम्पनियों द्वारा कर भुगतान पर” आज संसद में प्रस्तुत

जुलाई 2016 से नवम्बर की अवधि 2016 के दौरान भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा “धारा 115जेबी के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत कुछ कम्पनियों द्वारा कर भुगतान” की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई। निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को 10 अप्रैल 2017 को सौंप दिए गए जिसके पश्चात 01 जून 2017 को एग्जिट कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई तथा विचार-विमर्श के परिणाम रिपोर्ट में शामिल किए गए। दिनांक 4.8.2017 को रिपोर्ट संसद के पटल पर प्रस्तुत की गई।

प्रस्तावना

अनेक कंपनियां जो व्यवसाय से बड़े लाभ प्राप्त कर रही थीं और लाभांश के रूप में अपने शेयर धारकों को आय का पर्याप्त हिस्सा वितरित कर रही थीं, अधिनियम में उपलब्ध विभिन्न कटौतियों और छूटों का लाभ उठाकर अपनी कर देयता को कम कर रही थीं। “शून्य कर कंपनियों” के रूप में सन्दर्भित ऐसी कंपनियों को वित्त अधिनियम 1987 द्वारा धारा 115 जे लागू कर दायरे में लाने के प्रयास किये गये थे। इस प्रावधान को वित्त अधिनियम 1990 द्वारा वापस ले लिया गया था। इसे वित्त अधिनियम 1996 द्वारा, धारा 115 जेए के रूप में पुनः लागू किया गया था। 01 अप्रैल 2001 से धारा 115 जेए को पुनः संशोधित कर एक नई धारा 115 जेबी को लागू किया गया था जिससे कंपनियों को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर उनके अंकित लाभ/मानी

गयी आय पर कर का भुगतान करना था। आगामी वर्षों में धारा 115 जेए/115 जेबी के तहत कंपनियों द्वारा भुगतान किये गये कर के क्रेडिट की अनुमति हेतु धारा 115 जेए में प्रावधान किया गया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष:

वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान पूर्ण की गई निष्पादन लेखापरीक्षा में संवीक्षा निर्धारण, अपील और परिशोधन के मामले अन्तर्निहित हैं। हमने चयनित मामलों के संबंध में सारांश निर्धारण अभिलेखों की जांच की जहां लेखापरीक्षा की तिथि तक संवीक्षा निर्धारण पूरा नहीं किया गया था।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, सीएजी द्वारा निम्नलिखित लेखापरीक्षा आपत्तियां देखी गईं:

हमने 195 निर्धारण मामलों की पहचान की जहां अधिनियम की धारा 115 जेबी के प्रावधानों में अस्पष्टता/कमी सहित प्रणालीगत मुद्दे देखे गये थे। उनमें से कुछ आगामी पैराग्राफो में दर्शाए गये हैं:

आईटीडी ने मैट के तहत कर के लिए 22 निर्धारण मामलों में आय को शामिल नहीं किया यद्यपि सामान्य प्रावधान के तहत कर के लिए इसे शामिल किया गया था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 74.10 करोड़ का कर प्रभाव बना। **[पैरा 2.4.1]**

16 निर्धारण मामलों में, आईटीडी ने अंकित लाभ की संगणना के लिए असाधारण/अपवादात्मक मदों* पर विचार नहीं किया था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 23.13 करोड़ के कर प्रभाव वाली ₹ 126.57 करोड़ की कुल आय का अवनिर्धारण हुआ। **[पैरा 2.4.2]**

* प्राप्तियों/भुगतानों में असाधारण मदें जोकि कंपनियों के व्यवसाय के सामान्य नियम के माध्यम से प्राप्त नहीं की जा रही हैं, शामिल हैं। उन्हें इन मदों से पहले और बाद में कंपनी की आय को पृथक शीर्ष के अन्तर्गत प्रदर्शित करके लेखांकित किया जाता है।

तीन निर्धारण मामलों में, यद्यपि, आईटीडी द्वारा समामेलन की अनुमोदित योजना में निर्धारित निर्देशों के अनुसार सामान्य रिजर्वों के प्रति लाभ/हानि को समायोजित किया गया परन्तु निर्धारिती की सुविधा के अनुसार मैट के उद्देश्य के लिए उनका समाधान भिन्न था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 99.39 करोड़ के अंकित लाभ की कम संगणना हुई जिसमें ₹ 15.36 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। **[पैरा 2.4.3]**

आईटीडी द्वारा आठ निर्धारण मामलों में ₹ 331.14 करोड़ के कर प्रभाव वाले मैट के तहत अंकित लाभ की संगणना में निर्धारिती द्वारा दावा किये गये 'विनियोजन लेखे' के प्रभारित डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व/लोन रिडम्पशन रिजर्व के संबंध में कटौती की अनुमति दी गयी।

[पैरा 2.5]

आईटीडी ने एक तरफ आठ निर्धारण मामलों में अंकित मूल्य की संगणना में लाभ और हानि लेखाओं के लिए मूल्यहास क्रेडिट की प्रणाली में परिवर्तन के कारण पूर्व वर्षों से संबंधित अधिक मूल्यहास को कम किया था। दूसरी ओर छः निर्धारण मामलों में, आईटीडी ने लेखांकन पद्धति परिवर्तित होने के कारण मूल्यहास में कमी को नहीं जोड़ा था। इसमें ₹ 5.16 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था।

[पैरा 2.6]

लेखापरीक्षा में अग्रेणित हानि और अनावशोषित मूल्यहास की संगणना में कुछ अनियमितताएं पायी गयी जिन्हें नीचे दिया गया है:

- (i) अग्रेणित हानि और अनावशोषित मूल्यहास के अनुपात में लाभ और हानि लेखा के अनुसार लाभ का आवंटन किया गया।
- (ii) पिछले वर्षों की अग्रेणित हानि/अनावशोषित मूल्यहास को वर्तमान तिथि तक उनकी संचयी अवस्था के स्थान पर कमी के लिए लिया गया था।

(iii) वर्तमान वर्ष सहित बाद के वर्षों में बहियों के अनुसार व्यापार हानि/ अनावशोषित मूल्यहास की समान राशि का दावा किया गया था।

[पैरा 2.7]

आईटीडी ने छः निर्धारण मामलों में, सामान्य प्रावधानों के तहत आय की संगणना में कटौती के रूप में वास्तव में बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋणों की अनुमति दी थी। तथापि, धारा 115 जेबी के तहत अंकित लाभ की संगणना करते समय, बट्टे खाते डाले गये अशोध्य ऋणों को कम नहीं किया गया था।

[पैरा 2.8.1]

आईटीडी ने 18 निर्धारण मामलों में, सामान्य प्रावधानों के तहत फर्जी खरीदों/अप्रकट आय/अलेखांकित आय के संबंध में अननुमति दी परन्तु मैट के विशेष प्रावधानों के तहत नहीं।

[पैरा

2.8.2]

आईटीडी ने सामान्य प्रावधानों के तहत आय की संगणना के दौरान 36 निर्धारण मामलों में लाभ और हानि लेखाओं के अनुसार लाभ पर प्रत्यक्ष रूप से वहन की गई मदों के संबंध में अन्तरित मूल्य निर्धारण समायोजन किये, परन्तु मैट के तहत अंकित लाभ की संगणना के लिए उन पर विचार नहीं किया गया था। इसमें ₹ 93.05 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था।

[पैरा 2.8.3]

आईटीडी ने सामान्य प्रावधानों के तहत आय की संगणना के दौरान 39 निर्धारण मामलों में करों के रूप में सांविधिक देयताओं को अननुमत किया था परन्तु मैट के तहत उनपर विचार नहीं किया गया। इसमें ₹ 75.89 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था।

[पैरा 2.8.4]

आईटीडी ने 12 निर्धारण मामलों में मैट के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्ययों को आय में नहीं जोड़ा हालांकि इसे लाभ और हानि लेखाओं में डेबिट किया गया था जिसमें ₹ 15.49 करोड़ का कर प्रभाव बनता था **[पैरा 2.8.5]**

लेखापरीक्षा द्वारा 589 निर्धारण मामलों में अधिनियम/नियम के प्रावधानों के अननुपालन के अनेक मुद्दे/मामले देखे गए। कुछ को अनुवर्ती पैराग्राफों में दिखाया गया है।

आयकर विभाग द्वारा 28 निर्धारण मामलों में सामान्य प्रावधान के तहत भुगतान किये गये आयकर को अननुमत किया गया था, परन्तु अंकित लाभ की संगणना के लिए इन पर विचार नहीं किया गया। इसमें ₹13.28 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। **[पैरा 3.2.1]**

आईटीडी ने 84 निर्धारण मामलों में ऐसे खर्चों जो कुल आय का हिस्सा नहीं थे अंकित लाभ में नहीं जोड़ा जिसमें ₹ 102.03 करोड़ का कर प्रभाव बनता था।

[पैरा 3.2.2]

आईटीडी ने 47 निर्धारण मामलों में अंकित लाभ की संगणना करते समय परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी के प्रावधान के रूप में अलग रखी गयी राशि को नहीं जोड़ा था जिसमें ₹ 1827.86 करोड़ के कर प्रभाव बनता था। **[पैरा 3.2.3]**

आईटीडी द्वारा 22 निर्धारण मामलों में अंकित लाभ की संगणना में अनिश्चित देयता के प्रावधानों पर विचार नहीं किया था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 50.02 करोड़ का कर प्रभाव बनता था। **[पैरा 3.2.4]**

आईटीडी ने 28 निर्धारण मामलों में कटौतियों द्वारा अंकित लाभ कम किये थे जो अधिनियम में निर्धारित नहीं हैं, जिसमें ₹ 48.60 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था।

[पैरा 3.3]

आईटीडी द्वारा 277 निर्धारण मामलों में निर्धारण अभिलेखों के सन्दर्भ में आईटीआर में निर्धारिती द्वारा किये गये दावों की अद्यतन स्थिति की पुष्टि किये बिना ₹ 1,559.21 करोड़ के मैट क्रेडिट के गलत समंजन/अग्रनयन/गैर समंजन की अनुमति दी गयी थी।

[पैरा 3.4]

आईटीडी ने 37 निर्धारण मामलों में अंकित लाभ की संगणना में लेखा बहियों के अनुसार अग्रनीत हानि अथवा अनावशोषित मूल्यहास, को उचित ढंग से नहीं घटाया जिसमें ₹ 22.97 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था।

[पैरा 3.5]

वित्त वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) के पास पंजीकृत कार्यरत कंपनियों और डीजीआईटी (लोजिस्टिक, अनुसंधान एवं सांख्यिकी) द्वारा बताई गई कंपनियों की संख्या के बीच 2.94 लाख (33.3%) से 3.94 लाख (36.4%) तक का अन्तर था जो कंपनियों द्वारा आय के विवरण की नॉन-फाइलिंग/स्टॉप फाइलिंग की सीमा को दर्शाता है। आरओसी के पास पंजीकृत कंपनियों में से एक तिहाई आईटीडी के डाटाबेस में नहीं थी।

[पैरा 4.2]

नॉन-फाइलर्स मॉनीटरिंग सिस्टम (एनएमएस) के माध्यम से पहचाने गये 12,750 नॉन-फाइलरो में से आईटीडी ने केवल 9013 (70.69 प्रतिशत) मामलों में ही नोटिस जारी किये थे। उनमें से, केवल 29.73 प्रतिशत कॉर्पोरेट नॉन-फाइलरो की पहचान आईटीडी द्वारा की गयी जिन्होंने आईटीडी द्वारा जारी किये गये नोटिसों के जवाब में अपनी आय विवरणी फाइल की थी जबकि शेष 6,208 मामलों में कोई भी विवरणियां फाइल नहीं की गयी थी।

[पैरा 4.2.1]

34 निर्धारण मामलों में आईटीडी द्वारा अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत कर उदग्रहीत किया गया था यद्यपि कर विशेष प्रावधानों के तहत उदग्रहण था। चूक के परिणामस्वरूप ₹127.86 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ।

[पैरा 5.3]

सीएजी द्वारा सिफारिशें

विशेष प्रावधानों में अस्पष्टता/कमी सहित प्रणालीगत मामले

(क) सीबीडीटी अंकित लाभ संगणना में निम्नलिखित मदों के समाधान को स्पष्ट करते हुए धारा 115 जेबी की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण (1) के तहत समर्थकारी प्रावधान सम्मिलित करे:

- (i) सरकार आदि से प्राप्त अग्रिमों में से किए गए अन्तर निगम जमा (आईसीडी) और सावधि जमा पर प्रोदभूत ब्याज जो सामान्य प्रावधानों के तहत कराधान के लिए ली गई थी
- (ii) प्रत्यक्ष रूप से तुलन-पत्र में ली गई सहायता अनुदान आदि जो लाभ और हानि लेखा के माध्यम से नहीं ले जाए गए
- (iii) समामेलित कंपनी के दीर्घकालीन निवेश की बिक्री पर लाभ/हानि
- (iv) अवनिर्धारित देयता के साथ-साथ रिजर्व के संघटक सहित इसकी जटिलता को ध्यान में रख कर अंकित लाभ की संगणना में डिबेंचर रिडेम्प्शन रिजर्व/लोन रिडेम्प्शन रिजर्व
- (v) मूल्यहास की पद्धति में परिवर्तन के कारण अधिक/कम मूल्यहास

(पैरा 2.4.1 से 2.43, 2.5 और 2.6)

(ख) सीबीडीटी अंकित लाभ की संगणना में अग्रणीत व्यवसाय हानि/अनावशोषित मूल्यहास संमजन के तरीके को स्पष्ट करे। (पैरा 2.7.1 से 2.7.3)

(ग) सीबीडीटी अंकित लाभ की संगणना में लेखा बहियों में वास्तव में बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋणों की कमी के लिए एक समायोजन निर्धारित करें क्योंकि इसे सामान्य प्रावधानों के तहत कमी के लिए माना जाता है।

(पैरा 2.8.1)

(घ) सीबीडीटी अंकित लाभ की संगणना में निम्न मदों को जोड़ने के लिए एक समायोजन निर्धारित करें जो कि सामान्य प्रावधान के तहत संयोजन के लिए माने गये थे;

- (i) फर्जी खरीद/अघोषित आय/अलेखांकित आय

- (ii) लाभ और हानि लेखा पर प्रत्यक्ष रूप से संबंध रखने वाली मदों पर अंतरण मूल्य निर्धारण समायोजन
- (iii) आय की विवरणी फाइल करने की देय तिथि के अन्तर्गत भुगतान नहीं की गई सांविधिक देयताएं
- (iv) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर व्यय।

(पैरा 2.8.2 से 2.8.5)

- (ड) सीबीडीटी सामामेलन के बाद सामामेलित कंपनी द्वारा अपने व्यवसाय समाप्ति पर सामामेलित कंपनी के मैट क्रेडिट की अननुमति के लिए अधिनियम में एक प्रावधान लागू करें। **(पैरा 2.8.6)**

सीबीडीटी एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान उपरोक्त सभी मुद्दों की जांच के लिए सहमत हो गया और कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो एक परिपत्र/स्पष्टीकरण जारी करने की व्यवहार्यता का पता लगाया जायेगा।

मैट प्रावधानों के अननुपालन की सीमा

सीबीडीटी कंपनी अधिनियम के साथ साथ फॉर्म 29बी/कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/आईटीआर 6 के अनुसार व्यापार हानि और अनावशोषित मूल्यहास के विवरणों का वर्ष वार विभाजन दर्शाने वाला एक अनुबंध या एक परिशिष्ट संलग्न करें ताकि निर्धारण के समय उनकी अद्यतन स्थिति पर विचार किया जा सके। **(पैरा 3.5)**

सीबीडीटी ने एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान कहा कि एक पृथक अनुबंध/अनुसूची बनाना कठिन हो सकता है परन्तु वह निर्धारण सूचना प्रणाली (एएसटी) पर ध्यान देने के लिए सहमत था जहां कंपनी अधिनियम के अनुसार अग्रणीत व्यवसाय हानि और अनावशोषित मूल्यहास के विवरण भी दृश्यमान होंगे।

शून्य कर कंपनियों को कर आधार में लाना

(क) आईटीडी जवाबदेही के लिए एक रूपरेखा तैयार करें जहां एओ कॉर्पोरेट और गैर-कॉर्पोरेट नॉन-फाइलरो, दोनों की पृथक पहचान करने के लिए नॉन-फाइलर्स मानीटरिंग सिस्टम के प्रभावपूर्ण प्रयोग के लिए जवाबदेह हो सकते हैं ताकि नॉन-फाइलरों को कर जाल में लाने के लिए प्रभावपूर्ण रूप से कार्रवाई की जा सके।

(पैरा 4.2.1)

सीबीडीटी, एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान इस संबंध में एक उपयुक्त रूपरेखा बनाने के लिए सहमत हो गया।

(ख) जहां आईटीआर नहीं भरे गये उनको कर जाल में लाने के लिए आईटीडी उन मामलों पर कार्रवाई करें **(पैरा 4.2.1)**

सीबीडीटी, एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान इस विषय पर ध्यान देने के लिए सहमत हो गया।